सुविधा की दृष्टि से आप यह आदेश जारी करेंगे कि सत्र के बाद जो भी मैम्बर आफ पार्लियामेंट फर्स्ट क्लास ए०सी० में जाता है उसके स्पाऊस उसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं, बजाय प्लेन की जर्नी के, जिसमें कि चौगुना खर्चा आता है। क्या इस प्रकार का आप एक प्रशासनिक आदेश जारी कर देंगे?

उपसभापति: मंत्री जी, अग्रवाल जी ने यह डिमांड बहुत बार चेयरमेन साहब के सामने रखी है कि जो स्पाऊस है वह हवाई जहाज से तो सफर कर सकते हैं, लेकिन जो मैम्बर आफ पार्लियामेंट ए०सी०फर्स्ट क्लास में ही जाते है उनके स्पाऊस को यह सुविधा नहीं है, चाहे वह पुरुष सदस्य हो, चाहे महिला सदस्य हो। तो यह सुविधा देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि कनसोलिडेटेड फंड से आता है पैसा, अब चाहे वह हवाई जहाज के मद से दें या रेलवे के मद से दें। इनकी यह डिमांड जेन्यून डिमांड है। यह कोई ऐसी डिमांड नहीं है, जिससे मैम्बर आफ पार्लियामेंट कुछ ज्यादा खर्चा लेना चाह रहे हों। इसलिए उनकी इन बातों पर गौर करिए और उसको आप करने की कोशिश करिए। इसमें आपको कोई अमेण्डमेंट करने की जरुरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: ठीक है, मंत्री जी। आप बोल दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति जी, इसमें एक कमेटी थी, उसमें मैं खुद कनवीनर था। उस कमेटी के अन्तुले जी चेयरमेन थे और मैं कनवीनर था। जैसा मैंने कहा कि आज हम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बाद एम०पी० ही बनेंगे या एम०पी० नहीं भी रह सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्यों की दिक्कतें है, वह हमें पूरे तौर से मालूम हैं लेकिन यह जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट गई हुई है। उसमें चूंकि हर पार्टी के नेता हैं और इधर राज्यसभा के चेयरमेन हैं, उधर लोकसभा के स्पीकर है। जो बात आप कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही बात है कि प्लेन का मिल सकता है तो ट्रेन का फर्स्ट क्लास ए०सी० क्यों नहीं? जबकि ट्रेन के फर्स्ट क्लास ए०सी० और प्लेन के किराए में कितना अंतर होता है, तो जब प्लेन में सुविधा है, फर्स्ट क्लास ए०सी० ट्रेन में क्यों नहीं है? महोदया, हम लोगों ने रिकमंड भी किया था। यहां तक एज ए मिनिस्टर का सवाल है, मैं निश्चित रूप में मानता हूं कि यह मामला मंत्रालय के अंतर्गत का मामला है, लेकिन चूंकि प्लेन का मामला और ट्रेन का मामला, पैसा जो जाएगा, पैसा जो डिसपर्स होता है वह रेलवे मिनिस्टरी का अलग है और वह अलग है, लेकिन भारत सरकार एक है। यदि सरकार इस संबंध में निर्णय ले लेती है तो मैं तो इसको तुरन्त लागू कर दूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं इस संबंध में बात नहीं करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: ठीक है। Now he has given an assurance, we will discuss it. We have to take up the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1996. मंत्री जी, आपका एप्रोप्रिएशन, पैसा तो ले नहीं रहे आप, तो कैसे सब काम करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: मैं मूव करूं क्या?

उपसभापति: और क्या! नहीं करेंगे, तो हम नहीं देंगे आपको। ...(**व्यवधान**)...

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 1996

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदया, मैं रेलों के प्रयोजनार्थ वित्त वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाला विधेयक, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> "That the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1996, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, मैं विधेयक को लौटाए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

The question was proposed.

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): मैडम, मैंने आपको लिखकर दिया है, मुझे कोई भाषण नहीं देना है, कुछ स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय से पूछना है। यह एप्रोप्रिएशन बिल तो हम पास करने ही जा रहे हैं, सर्वसम्मति से कर रहे हैं। आपने यहां पर संसाधनों का शायद मुद्दा उठाया कि पैसे का बहुत अभाव है। मैं

आपसे यह जानना चाहता हूं कि रेलवे की डेपरिसिएशन कामर्शियल लाइन का 668,20,35,000 स्ट्रेटजिक लाइन्स का 438,67,59,000 रेलवे कैपिटल रिजर्व फंड का 803,72,19,000 रेलवे पेंशन फंड का 671,03,42,000 रेलवे सेफ्टी वर्क फंड का 33,93,94,000। यह पैसा को कंसोलिडेटिड फंड में जमा है और इसके अतिरिक्त मेजर हैड 8445, माइनर हैड 101, डिपाज़िट नॉट बिअरिंग इंटरेस्ट, उसमें इंडियन रेलवे का डिपॉजिट है। 1732,48,79,000 और सस्पेंस एकाउंट में आपका जमा है 215,52,41,000 जिसमें ब्याज भी आपको बहुतों पर नहीं मिलता है। तो आप कंसोलिडेटिड फंड से और भारत सरकार से रेलवे की सुविधाओं के विस्तार के लिए, बजाह सदन में यह मांग करने के लिए कि मुझे अगर आप यह पैसे दे देंगे तो मैं यह सब काम पूरा कर दूंगा, भारत सरकार से क्यों नहीं मांग करते? आपने इतने वायदे किए हैं, मैं समझता हूं कि आपने हमको चन्द्रमा लाकर दे दिया है, अब कितने पूरे होते हैं यह देखना है। लेकिन इसके संबंध में आप मुझे बताइए कि फाइनेंस एकाउंट में भारत सरकार के आपका यह सारा पैसा, जो साढ़े चार हजार करोड़ से ज्यादा है, यह कंसोलिडेटिड फंड में जमा है, यह क्यों नहीं भारत सरकार से आप मांगते? यहां तो आप कहते हैं कि एयर लाइंस का विभाग अलग है, सिविल ऐवीएशन का अलग है, मैं रेलवे का अलग हूं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो भारत सरकार कंसोलिडेटिड फंड का एकाउंट है, यह फाइनेंस एकाउंट है, इनमें जो सारा पैसा मेजर हैड्स और माइनर हैड्स में लिखा हुआ है, जिसका अभी मैंने हिसाब लगाया है, अगभग साढ़े चार हजार करोड़, इसमें से दो हजार करोड़ तो ऐसा है कि जिस पर आपको ब्याज नहीं दिया जाता। इसमें लिखा हुआ है—नॉट बिअरिंग इंटरेस्ट, डिपाजिट्स नाट बिअरिंग इंटरेस्ट्स। और उसमें है मेजर हैड्स 8445, माइनर हैड्स 101, इंडियन रेलवे डिपाजिट 1732,48,79,000, और भी बहुत सारे आइटम्स है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के कंसोलिडेटिड फंड में यह उदारता, यह चैरिटी रेल विभाग ने क्यों कर रखी है और आप हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्यों नहीं भारत सरकार से, वित्त मंत्रालय से लेते पैसे? हमारे पैसे हमको लौटाइए, नहीं लौटाते तो 14 परसेंट का ब्याज दीजिए, क्या आप यह मांग करेंगे वित्त मंत्रालय से?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं मांग कर रहा हूं और आपको याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था, जब मैंने बजटरी सपोर्ट बढ़ाने के लिए खुल्लम-खुल्ला कहा था, इसका आशय यही था कि बजटरी सपोर्ट बढ़ाने की ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश अग्रवाल: यह बजटरी सपोर्ट की बात नहीं है, यह आपका पैसा है।

श्री राम विलास पासवान: मैं इसमें डी०आर०एफ०, केपिटल फंड, पेंशन फंड का पैसा, जो पब्लिक एकाउंट में है, इस पर 7 परसेंट ब्याज हम लोगों को उसमें मिलता है।

श्री सतीश अग्रवाल: कितना?

श्री राम विलास पासवान: 7 परसेंट।

श्री सतीश अग्रवाल: वित्त मंत्रालय 14 परसेंट पर मार्किट से ले रहा है और आपको 7 परसेंट दे रहा है! Cheating within the Government!

श्री राम विलास पासवान: लेकिन जो आपकी चिंता है, मैं आपकी चिंता से सहमत हूं। मेरा रेलवे कोई घाटे में नहीं चल रहा है, यह नहीं कहा है कि हमने कोई रेलवे का घाटे का बजट पेश किया है। ठीक है, आप विरोध पक्ष में हैं, आपको सोने का कटोरा भी अगर हम लाकर के देंगे तो आप चन्दामामा की कहानी सुनाएंगे, लेकिन हम आपको सोने के कटोरे में दूध पिलाएंगे, इसके लिए निश्चिन्त रहिए और आप इसको पास करने का आग्रह कीजिए।

उपसभापति: पर वह जो कह रहे हैं कि जिस पैसे पर ब्याज नहीं मिल रहा है, तो आप ब्याज मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?

श्री राम विलास पासवान: वह ठीक है, उसको हम गंभीरता से लेंगे, सरकार पर हम दबाव डालेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल: 1800 करोड़ रुपए पर आपको ब्याज नहीं मिल रहा है और आप यहां छोटी-छोटी लाइनों के लिए पैसे के लिए कहते हैं—सर्वे तो हो जाएगा, काम नहीं होगा। कभी एक करोड़ देते हैं, कभी दो करोड़ देते हैं।

श्री राम विलास पासवान: मैंने तो आपको पहले ही कहा है ....

श्री सतीश अग्रवाल: मैं तो आपको एडवाइज़ कर रहा हूं कि आप यह लीजिए, आपका राइट है यह।

उपसभापति: आपकी सपोर्ट में बोल रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: यह तो हमारी सपोर्ट में ही बोल रहे हैं इसीलिए तो मैंने करवा दिया।

श्री सतीश अग्रवाल: मैं तो आपकी सपोर्ट में ही बोल रहा हूं। आप यहां ऐश्योरेंस देंगे तो आपको सुविधा रहेगी, इसलिए बोल रहा हूं। बाकी समर्थन तो हम कर ही रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: वह सरकार के अंदर का मामला है, वह भीतर की बात है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is —

"That the Bill be returned."
The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have a lot of business to finish. Mr. Gujral is here for a statement on CTBT and other related things. We have the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provision (Amendment) Bill, and Representation of People (Amendment) Bill.

So, there is a lot of Business and most of the Business is time-bound which we have to finish. Now, we have to decide as to what we should do. We have the Representation of the People (Amendment) Bill.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI I. K. GUJRAL): Madam, kindly permit me to make my *suo motu* statement which I have already made in the other House. So, it will be wrong on my part if I do not present it here. If any elucidation is called for, that should be postponed. Let me put my statement before the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We can take up the Employees' Provident Fund Bill later on. Mr. Gujral, the Leader of the House, has already made this statement in the Lok Sabha and it will be proper if he makes the same statement here. As in our House we have a tradition of seeking clarifications, I am sure the Members would like to seek clarifications. You can seek clarifications today or it can be postponed for tomorrow.

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): He can make the statement today and the Members can seek clarifications tomorrow.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): He can make the statement today. We can seek clarifications tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not seen the statement. Where are the copies of the statement?

SHRI I. K. GUJRAL: Madam, I have sent the copies here...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute, please. As you know, certain traditions are changing in this House also. The Members are directing the Chair to run everything. If you feel so, then I would request you to take over my place and run it. But the thing is that there is a procedure in this House. I am only asking Mr. Gujral that if it is a long statement, he can lay it on the Table of the House so that we can go ahead. Mr. Gujral, is it a long statement or a short statement? ...*(Interruptions)*... It has only two pages ...*(Interruptions)*... The House should have copies, I know ...*(Interruptions)*... They are being circulated. ...*(Interruptions)*... We are circulating the copies. Mr. Gujral, you can go ahead.

SHRI I. K. GUJRAL: Madam, the House would recall that I had made another statement on 15th of July. I had made a similar statement in the other House as well. Today there is a discussion going on in the other House on both the statements. ...*(Interruptions)*... This discussion is going to continue tomorrow on both these statements. Therefore, I would submit that thereafter whenever the Members seek clarifications, I will respond. So, with your permission, Madam, I submit.